संख्याः 08 /XXVI/छः(2)/2009

प्रेषक,

एन0एस0 नपलच्याल,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उत्तराखण्ड।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादून, दिनांकः 11 फरवरी, 2010

विषयः– शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों के सम्पादन हेतु कार्यदायी संस्था का निर्धारण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक लोक निर्माण विभाग के शासनादेश सं0–452/XXVII(I)/2005, दिनांक 05 अप्रैल, 2005, शासनादेश सं0–39/XXVII/2007, दिनांक 14 अगस्त, 2007, शासनादेश सं0–65/XXVII/2007, दिनांक 27 सितम्बर, 2007, शासनादेश सं0–407/94–अधिष्ठान/2006, दिनांक 01 फरवरी, 2008, शासनादेश सं0–1738/III (I)/08–04(सामान्य)/08, दिनांक 17 जुलाई, 2008, शासनादेश सं0–2050/III(I)/08–04 (सामान्य)/08, दिनांक 21 अगस्त, 2008, शासनादेश सं0–504/III(1)/09–04 (सामान्य)/08, दिनांक 13 मार्च, 2009 तथा नियोजन विभाग के शासनादेश सं0–185 /XXVI/04(सा0)/08, दिनांक 15 अक्टूबर, 2009 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिनके द्वारा शासकीय विभागों के विविध निर्माण कार्यों हेतु कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश निर्गत किये गये थे।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश सं0–504/III(1)/09–04 (सामान्य)/08, दिनांक 13 मार्च, 2009 के बिन्दु सं0–2 तथा 3 में संशोधन करते हुए कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नवत् कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है:–

(1) रू 1 करोड़ से अधिक लागत की परियोजनाओं के लिए लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन निर्माण निगम तथा उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम को कार्यदायी संस्था बनाया जा सकता है।

उक्त विषयक पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जाएंगे।

भवदीय,

(एन0एस0 नपलच्याल)
मुख्य सचिव।

संख्या :   (1)/XXVI/छः(2)/2009, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
2— अध्यक्ष, उत्तराखण्ड राज्य अवस्थापना विकास निगम।
3— निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4— निदेशक, एन0आई0सी, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून।
5— प्रभारी मिडिया सेन्टर, सचिवालय, देहरादून।
6— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी)
सचिव।

P:\Planning Documents\Planning\Planning G.O.doc